


फर्द अहकाम

.....इशील 21/11/23 बनाम विनोद
 न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड

केस संख्या 245 / 2023 इशील

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<u>31/10/23</u>	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर <u>इशील</u> से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक <u>20/11/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</p>	<p>734-335 11/11/23</p>
	<u>20/11/23</u>	<p>आज्ञा पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित / अनुपस्थित / पीलासीन अधिकारी आज अवकाश / दौरे / मिटिंग / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>21/11/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>रीडर</u></p>	
	<u>21/11/24</u>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। कमीशनर को जारी नोटिस लॉफिल की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से बरकरा कमीशनर के पत्रावली दिनांक 23/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>जिला कलक्टर</u> कोटपूतली-बहरोड</p>	
	<u>23/11/24</u>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। लज्जा के भाषण (पत्र) गई। लार्-2 भाषण लज्जा के पत्रावली स्पष्ट व तुलने सचिवकता के अतिरिक्त नहीं है। कमीशनर को जस्टिस डाक से नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली के अतिरिक्त नोटिस नहीं है। कल. प्रमाण कल. हाजरी मसल पत्रावली के अतिरिक्त पेश जाता है। पत्रावली के कल. हाजरी मसल (सचिवकता) स्पष्ट है।</p> <p style="text-align: center;"><u>जिला कलक्टर</u> कोटपूतली-बहरोड</p>	